



दलिली विधानसभा की 'शांतिएवं सद्भाव समति' की न्यायसंगतता

प्रीलिमिस के लिये

संविधान की 7वीं अनुसूची

मेन्स के लिये

केंद्र-राज्य के बीच शक्तिविभाजन संबंधी प्रावधान और इससे उत्पन्न मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) (SC) ने अपने नियम में फरवरी 2020 की सांप्रदायिक हसिया के सलिसली में फेसबुक इंडिया के वरषित अधिकारी को तलब करने के दलिली विधानसभा की 'शांतिएवं सद्भाव समति' के अधिकार को बरकरार रखा है।

प्रमुख बातें

केंद्र सरकार और फेसबुक का दावा:

- केंद्र सरकार और फेसबुक के मुताबिक, चूँकि कानून-व्यवस्था तथा दलिली पुलसि केंद्रीय विषय हैं, ऐसे में 'शांतिएवं सद्भाव समति' का गठन दलिली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

दलिली सरकार का पक्ष

- दलिली विधानसभा ने राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामल विभिन्न प्रविष्टियों का उपयोग किया था, जिनके तहत दलिली विधानसभा को इस मुद्दे पर चर्चा करने तथा बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है।
 - दलिली विधानसभा ने राज्य सूची में प्रविष्टि-1 का हवाला दिया, जो कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' से संबंधित है और कानून-व्यवस्था से अलग है, साथ ही इस मामले में समवर्ती सूची की प्रविष्टि-1 को भी आधार बनाया गया है, जो राज्य विधानसभाओं को 'आपराधिक कानून' विषय पर कानून बनाने की व्यापक शक्ति देती है।
 - इसके अलावा दलिली विधानसभा ने राज्य सूची की प्रविष्टि-39 का भी उपयोग किया है, जो कि विधानसभाओं को बयान दर्ज करने के उद्देश्य से गवाहों की उपस्थितिको अनिवार्य बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

सर्वोच्च न्यायालय का नियम

- फेसबुक के तरक्क को असवीकृति:**
 - न्यायालय ने फेसबुक द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण को पूरणतः खारज कर दिया किंतु केवल तीसरे पक्ष की जानकारी पोस्ट करने वाला एक मंच है और उस जानकारी को उत्पन्न करने, नियंत्रित करने या संशोधित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है।
 - न्यायालय के अनुसार, फेसबुक दलिली विधानसभा द्वारा गठित 'शांतिएवं सद्भाव समति' के समक्ष उपस्थिति होने से बचने के लिये कसी भी 'असाधारण विशेषाधिकार' का दावा नहीं कर सकता है।
- समति की शक्तियाँ:**
 - अपने नियावाचन क्षेत्र में ऑनलाइन सामूहिक घटना और हसिया से निपटने के सर्वोत्तम उपायों पर विधानसभा के नियावाचन प्रतिनिधियों द्वारा की गई 'सुविज्ञ मंत्रणा' (Informed Deliberation) काफी हद तक समति की कार्यनियावाह क्षमता के अनुरूप थी।
 - हालाँकि समति के समक्ष उपस्थिति होने वाले फेसबुक प्रतिनिधियों को कानून-व्यवस्था और पुलसि के विषय में सीधे समति के कसी भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे विषय हैं जिन पर दलिली विधानसभा कानून नहीं बना सकती है।
- विधानसभा की शक्ति:**
 - न्यायालय ने फेसबुक के इस तरक्क को खारज कर दिया किंतु विधानसभा को दंगों की प्रसिद्धियों की जाँच करने के बजाय स्वयं को कानून बनाने तक सीमति रखना चाहाय।

- विधानसभा न केवल कानून बनाने का कार्य करती है बल्कि शासन के कई अन्य पहलू भी हैं जो विधानसभा और समतिके आवश्यक कार्यों का हसिसा बन सकते हैं।
 - विधायी विशेषाधिकार अपने विधायी कार्यों के प्रभावी नियंत्रण के लिये विधायिका से संबंधित अधिकार हैं।
 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 क्रमशः संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्य विधानसभाओं की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को नियंत्रित करते हैं।
 - शांति और सद्भाव की अवधारणा कानून-व्यवस्था तथा पुलसि की तुलना में अधिक व्यापक है।
- दोहरा शासन:**
 - केंद्र और दलिली सरकार को राजधानी क्षेत्र में शासन के मुद्दों पर मिलिकर काम करना चाहिये तथा अपने स्तर पर परिपक्वता दिखाने की ज़रूरत है।
 - सोशल मीडिया कंपनी (फेसबुक) ने "दृष्टिकोण के विविलन" और केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की "दलिली में शासन के मुद्दों पर नज़र रखने" की अक्षमता का लाभ उठाने की मांग की।
 - सरकार न्यायालय ने कहा कि दलिली के दोहरे प्रश्नासन, जिसमें केंद्र सरकार को कई प्रमुख क्षेत्रों में विशेषाधिकार प्राप्त है, ने केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में वभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ कई वर्षों तक अच्छा काम किया है।

विधायी शक्तियों में अंतर करने के लिये सूचियाँ:

- तीन ऐसी सूचियाँ हैं जो विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान करती हैं (संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत):
 - संघ सूची (सूची I)-** इसमें 98 विषय (मूल रूप से 97) शामिल हैं और इसमें वे विषय शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जनिके लिये पूरे देश में समान कानून है।
 - इन मामलों के संबंध में केवल केंद्रीय संसद ही कानून बना सकती है, उदाहरण के लिये- रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संघ कर आदि।
 - राज्य सूची (सूची II)-** इसमें 59 विषय (मूल रूप से 66) हैं और इसमें स्थानीय या राज्य हति के विषय शामिल हैं।
 - ये विषय राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। जैसे- लोक व्यवस्था, पुलसि, स्वास्थ्य, कृषि और वन आदि।
 - समवर्ती सूची (सूची-III)-** इसमें 52 (मूल रूप से 47) विषय हैं जिनके संबंध में केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची का उद्देश्य अत्यधिक कठोरता से बचने के लिये विषयों को केंद्र एवं राज्य दोनों को एक उपकरण के रूप में प्रदान करना था।
 - यह एक 'ट्रिलियों जोन' है, क्योंकि महत्वपूर्ण मामलों के लिये राज्य पहल नहीं कर सकते हैं, जबकि संसद ऐसा कर सकती है।

आगे की राहः:

- सोशल मीडिया पर कसी भी विषय के संबंध में गलत सूचनाओं का सीधा प्रभाव उस विशेषाधिकार क्षेत्र पर पड़ता है जो अंततः राज्यों के शासन को प्रभावित करता है।
- जैसा कनियायालय ने पाया शांति और सद्भाव समति अभी भी केंद्र के अधिकारों पर अतिक्रमण किये बना फेसबुक अधिकारी को बुला सकती है, यह अब अन्य राज्यों के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जाँच के द्वारा खोलती है।

स्रोतः द हृदौ